"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348 ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2011—पौष 10, शक 1933

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2011

### अधिसूचना

फा. क्रमांक 8813/डी-2814/21-ब/छ.ग./2011.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्र. 39 सन् 1987) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), सहपठित छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 2002 के नियम 3 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से इस, विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक 4373/डी-1478/21-ब/छ.ग./2009 दिनांक 01-07-2009 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का पालन करने के लिए निम्नलिखित नाम निर्देशित सदस्यों को दो वर्ष के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करती है :—

नाम निर्देशित सदस्य

(1) श्रीमती डॉ. आभा सिन्हा, प्राध्यापक, के. आर. विधि महाविद्यालय, बिलासपुर
(2) श्री सलीम काजी, पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता, बिलासपुर
(3) सुश्री दीपाली पाण्डेय, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, बिलासपुर

Raipur, the 13th December 2011

NOTIFICATION

F. No. 8813/D-2814/XXI-B/C.G./2011.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) read with sub rule (3) of Rule 3 of Chhattisgarh State Legal Services Authority Rules, 2002, the State Government in consultation with the Chief Justice of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in supersession of the previous Notification No. 4373/D-1478/XXI-B/C.G./2009 dated 01-07-2009, hereby appoints the following nominated members as member of State Legal Services Authority to exercise the powers conferred and perform the functions under the said Act for period of two years :—

NOMINATED MEMBERS

(1) Smt. Dr. Abha Sinha, Professor, K. R. Law College, Bilaspur
(2) Shri Saleem Kazi, Journalist and Social Worker, Bilaspur
(3) Miss Deepali Pandey, Advocate, Bilaspur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. सामन्तराय,** सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.